अध्याय-3
वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया

अध्याय 3: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

3.1 परिचय

वस्तु व सेवा कर कानूनों में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के तहत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं मानकीकृत करना है। यह निर्णय लिया गया कि दावे एवं स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल उपलब्ध न होने के कारण एक अस्थायी तंत्र तैयार कर उसको कार्यान्वित किया गया। विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए परिपत्र संख्या 12-28/2017-18-EXN-GST-1810-27 दिनांक 17 जनवरी 2018 व संख्या 12-28/2017-18-EXN-GST-3280-98 दिनांक 03 फरवरी 2018 जारी किए गए थे। इस इलेक्ट्रॉनिक-सह-हस्तचालित प्रक्रिया में आवेदकों को सार्वजनिक पोर्टल पर जीएसटी आरएफडी-01ए फार्म में प्रतिदाय आवेदन फाइल करना, उसकी एक छायाप्रति (प्रिंटआउट) लेना तथा सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इसे क्षेत्राधिकार के कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना अपेक्षित था। उन प्रतिदाय आवेदनों की आगामी प्रक्रिया, अर्थात् पावती जारी करना, कमी-ज्ञापन जारी करना, अनंतिम/अंतिम प्रतिदाय आदेश, भुगतान सलाह देना आदि हस्तचालित (मैनुअल) रूप से किए जा रहे थे। यद्यपि प्रतिदाय आवेदन जमा करने के पश्चात् के विभिन्न प्रक्रिया चरण हस्तचालित रहे।

तदनुसार, प्री-ऑटोमेशन प्रतिदाय दावों को प्रस्तुत करने एवं उन पर प्रक्रिया करने हेतु पूर्व में जारी दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले परिपत्रों को या तो हटा दिया गया या संशोधित किया गया। सभी क्षेत्रीय संरचनाओं में कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के क्रम में कई पूर्ववर्ती परिपत्र जैसे संख्या 12-28/2017-18- EXN-GST-1810-27 दिनांक 17 जनवरी 2018, संख्या 12-28/2017-18- EXN-GST-3280-98 दिनांक 03 फरवरी 2018, संख्या 12- 25/2018-19- EXN-GST-(575)-20774-20792 दिनांक 02 अगस्त 2019, No.12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-6471-88 दिनांक 13 मार्च 2019, संख्या 12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-6680-97 दिनांक 13 मार्च 2019, संख्या 12-25/2018-19-EXN-GST-(575)-20834-20852 दिनांक 02 अगस्त 2019, संख्या 12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-20854-20872 दिनांक 02 अगस्त, 2019 एवं संख्या 12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-20956-20976 दिनांक 02 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। तथापि सार्वजनिक पोर्टल पर 26 सितंबर 2019 से पहले फाइल किए गए सभी प्रतिदाय आवेदनों के लिए उक्त परिपत्रों के प्रावधान लागू होते रहेंगे तथा उक्त आवेदनों पर प्रक्रिया हस्तचालित रूप से करना जारी रहेगा जैसाकि नई प्रणाली के कार्यान्वयन से पूर्व किया जाता था।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) प्रतिदाय देने के संबंध में जारी अधिनियम, नियम, अधिसूचना, परिपत्र आदि पर्याप्त हैं।

(ii) कर प्राधिकारियों द्वारा विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रणालियां प्रभावी हैं।

(iii) क्या प्रतिदाय आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जांच हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं?

3.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

विभाग ने जुलाई 2017 से सितंबर 2019 तक राज्य के चयनित पांच मण्डलों में स्वचालन-पूर्व (प्री-ऑटोमेशन) अवधि में 1,160 प्रतिदाय मामलों[1] पर प्रक्रिया की तथा सितंबर 2019 से जुलाई 2020 तक चयनित आठ मण्डलों में स्वचालन-पश्चात् (पोस्ट-ऑटोमेशन) अवधि में 183 प्रतिदाय दावों[2] पर प्रक्रिया की।

लेखापरीक्षा दल द्वारा प्री-ऑटोमेशन व पोस्ट-ऑटोमेशन अवधि में प्रक्रिया किए गए प्रतिदाय दावों की फाइलें विस्तृत जांच हेतु नमूना आधार पर निकाली गई थी।

3.4 नमूना चयन

प्रारंभ में विस्तृत जांच हेतु 114 मामलों (ऑटोमेशन-प्री)के नमूने का चयन किया गया। आगे लेखापरीक्षा के दौरान 53 अतिरिक्त मामलों की भी जांच की गई थी, क्योंकि इन मामलों में समान अनियमितताएं पाई गई थीं। इस प्रकार पांच मण्डलों में कुल 167 मामलों[3] की जांच की गई।

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत पोस्ट-ऑटोमेशन प्रतिदाय दावों के लिए आठ मण्डलों में विस्तृत जांच हेतु 112 मामलों[4] का चयन किया गया।

---

1 बद्दी: 788 मामले, सिरमौर: 209 मामले, शिमला: 77 मामले, सोलन: 24 मामले व ऊना: 62 मामले।

2 बद्दी: 103 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: नौ मामले, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: 48 मामले, शिमला: तीन मामले, सोलन: पांच मामले व ऊना: 13 मामले।

3 बद्दी: 94 मामले, सिरमौर: 25 मामले, शिमला: 20 मामले, सोलन: 14 मामले व ऊना: 14 मामले।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (व्यापार उदारीकरण के कारण माल पर पारस्परिक कर): 120 मामले, जीरो रेटेड सप्लाई (जिस पर कोई वस्तु व सेवा कर नहीं लगा): 20 मामले व अन्य: 27 मामले।

4 बद्दी: 62 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: छह मामले, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: 29 मामले, शिमला: दो मामले, सोलान: तीन मामले व ऊना: आठ मामले।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (व्यापार उदारीकरण के कारण माल पर पारस्परिक कर): 78 मामले, जीरो रेटेड सप्लाई (जिस पर कोई वस्तु व सेवा कर नहीं लगा): 11 मामले व अन्य: 23 मामले।

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित धाराएं/नियम/अधिसूचनाएं प्रतिदाय का दावा करने हेतु दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करती हैं:

(i) केंद्रीय वस्तु व सेवा कर, 2017 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 व धारा 77।

(ii) केंद्रीय वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 से 97 ए।

(iii) एकीकृत वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 व 19।

(iv) वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय के अंतर्गत समय-समय पर जारी केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचनाएं।

3.6 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों में चयनित नमूना मामलों की नमूना-जांच में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न अनियमितताएं उजागर हुई जैसाकि **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है:

3.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की जांच करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

3.7.1 समय पर पावती जारी न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली**,** 2017 के नियम 90 के अनुसार आवेदक द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय आवेदन की जांच के आधार पर यदि प्रतिदाय आवेदन सभी पहलुओं में पूर्ण पाया जाता है, तो प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रतिदाय प्रक्रिया अधिकारी द्वारा जीएसटी आरएफडी-02 फार्म में पावती जारी की जाएगी।

प्री-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों के 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 41 मामलों[5] (24.55 प्रतिशत) में पावती जारी करने में औसतन पांच से 364 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 95 दिन व 79 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.2(i)** में विवर्णित है। इनमें से 25 मामलों, 11 मामलों एवं पांच मामलों में क्रमश: तीन माह, तीन से छ: माह एवं छ: माह से अधिक का विलम्ब हुआ।

[5] बद्दी: 16 मामले, सिरमौर: सात मामले, शिमला: छह मामले, सोलन: सात मामले व ऊना: पांच मामले।

पोस्ट-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों के 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 31 मामलों[6] (27.68 प्रतिशत) में पावती जारी करने में औसतन दो से 77 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 21 दिन व 15 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.2(ii)** में विवर्णित है। इन सभी 31 मामलों में तीन माह तक का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.2 प्रतिदाय आदेश समय पर स्वीकृत न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 92 में निर्धारित है कि जहां आवेदन की जांच के बाद सक्षम अधिकारी संतुष्ट है कि प्रतिदाय यथोचित एवं आवेदक को देय है, तो वह जीएसटी आरएफडी -06 फार्म में आवेदक के प्रतिदाय की पात्र राशि की स्वीकृति का आदेश देगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 54 (7) में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय आदेश जारी करेगा।

प्री-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों के 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 32 मामलों[7] (19.17 प्रतिशत) में प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में औसतन छः से 355 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 120 दिन व 87 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.3(i)** में विवर्णित है। इनमें से 17 मामलों, सात मामलों एवं आठ मामलों में क्रमश: तीन माह, तीन से छ: माह एवं छ: माह से अधिक का विलम्ब हुआ।

पोस्ट-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों के 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 17 मामलों[8] (15.18 प्रतिशत) में प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में औसतन छः से 140 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 42 दिन व 31 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.3(ii)** में विवर्णित है। इनमें से 15 मामलों एवं दो मामलों में क्रमश: तीन माह एवं तीन से छ: माह का विलम्ब हुआ।

---

6 बद्दी: 16 मामले, कांगड़ा: तीन मामले, सिरमौर: 10 मामले, सोलन: एक मामला व ऊना: एक मामला।

7 बद्दी: 11 मामले, सिरमौर: पांच मामले, शिमला: छह मामले, सोलन: आठ मामले व ऊना: दो मामले।

8 बद्दी: 10 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: एक मामला, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: दो मामले व सोलन: दो मामले।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित प्रतिदाय आदेश स्वीकृत करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.3 जीरो-रेटेड सप्लाई पर अनंतिम प्रतिदाय निर्धारित समयावधि में स्वीकृत न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) के अनुसार उप-धारा (5) में किसी भी बात के होते हुए भी, पंजीकृत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी के अतिरिक्त जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो-रेटेड सप्लाई पर प्रतिदाय का कोई दावा करने के मामले में सक्षम अधिकारी इस तरह से एवं ऐसी शर्तों, सीमाओं व सुरक्षा उपायों के अधीन जैसा कि निर्धारित है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को छोड़कर अनंतिम आधार पर कुल दावा की गई राशि का नब्बे प्रतिशत प्रतिदाय अनंतिम रूप से स्वीकार कर सकता है तथा तदोपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के यथोचित सत्यापन पश्चात् प्रतिदाय दावे के अंतिम समायोजन हेतु उप-धारा (5) के तहत एक आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि जीरो-रेटेड सप्लाई पर अनंतिम प्रतिदाय इस शर्त पर दिया जाए कि प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रतिदाय दावे से सम्बंधित कर अवधि से ठीक पहले की पांच वर्ष की अवधि के दौरान अधिनियम या मौजूदा कानून के तहत ₹ 2.5 करोड़ की राशि से अधिक की कर चोरी के किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 91 (2) में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी प्रस्तुत आवेदन तथा साक्ष्य की जांच करेगा। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर वह पावती की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि स्वीकृत करते हुए जीएसटी आरएफडी-04 फार्म में अनंतिम प्रतिदाय आदेश देगा।

प्री-ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो रेटेड सप्लाई के 20 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया कि एक मामले[9] (4.76 प्रतिशत) में अनंतिम प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में 09 दिनों का विलम्ब था जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में विवर्णित है। इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में यथा निर्धारित अनंतिम प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति हेतु समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.4 प्रतिदाय दावों के पश्चात् लेखापरीक्षा संचालित न करना/विलम्ब से करना

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या 12-28/2017-18- EXN-GST-(1810-27 दिनांक 17 जनवरी, 2018 ने प्री-ऑटोमेशन अवधि के जीरो रेटेड सप्लाई के प्रतिदाय पर प्रक्रिया करने के लिए प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र में अन्य बातों

[9] बद्दी: इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड।

के साथ-साथ निर्धारित किया गया है कि जिन प्रतिदाय आवेदनों पर मैनुअल रूप से प्रक्रिया की गई उनकी पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि बोर्ड द्वारा अलग-अलग विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, भले ही इसमें शामिल राशि कितनी भी हो। यद्यपि यह स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदेय आदेशों के पश्चात् की लेखापरीक्षा जारी रहेगी।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया कि 167 मामलों[10] (100 प्रतिशत), **परिशिष्ट-3.5(i)** में कोई पश्चात् लेखापरीक्षा नहीं की गई।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया था कि 112 मामलों[11] (100 प्रतिशत), **परिशिष्ट-3.5(ii)** में कोई पश्चात् लेखापरीक्षा नहीं की गई।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में यथा निर्धारित पश्चात् लेखापरीक्षा के नियमों का पालन करने में विफल रहा।

3.7.5 जीरो रेटेड सप्लाई में प्रयुक्त इनपुट पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट प्रतिदाय

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(**i**) में कर चुकाए बिना किए गए जीरो-रेटेड सप्लाई हेतु अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का प्रावधान है। इसी तरह के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत वस्तु व सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में एकीकृत कर के सम्बन्ध में निर्धारित हैं जो यह भी निर्धारित करता है कि जीरो-रेटेड सप्लाई में **'**वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात**'** शामिल है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के नीचे दिए स्पष्टीकरण (1) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 'प्रतिदाय' में जीरो-रेटेड सप्लाई करने में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर चुकाया गया प्रतिदाय शामिल है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उप-नियम 4 में बांड या वचन-पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) के तहत कर चुकाए बिना माल के ऐसे जीरो-रेटेड सप्लाई के मामले में प्रतिदाय देने के लिए निम्नलिखित फार्मूला प्रदान किया गया है:

प्रतिदाय राशि = (*माल के जीरो-रेटेड सप्लाई का टर्नओवर* + *सेवाओं के जीरो-रेटेड सप्लाई का टर्नओवर*) x *निवल इनपुट कर क्रेडिट* ÷ *समायोजित कुल टर्नओवर*

---

[10] बद्दी: 94 मामले, सिरमौर: 25 मामले, शिमला: 20 मामले, सोलन: 14 मामले व ऊना: 14 मामले।

[11] बद्दी: 62 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: छह मामले, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: 29 मामले, शिमला: दो मामले, सोलन: तीन मामले व ऊना: आठ मामले।

यहां, "निवल इनपुट कर क्रेडिट" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट है तथा प्रतिदाय राशि से तात्पर्य अधिकतम अनुमत प्रतिदाय राशि है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 में निर्धारित है कि करदाता से धारा 50 के तहत प्रयोज्य ब्याज सहित प्रतिदाय की गलत राशि की वसूली की जाए।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो-रेटेड सप्लाई के 20 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि एक मामले[12] में कार्यालय ने ₹ 28.95 करोड़ के बजाय कम समायोजित कुल टर्नओवर अर्थात ₹ 22.20 करोड़ लिया एवं ₹ 84.76 लाख के जीरो-रेटेड सप्लाई (कर चुकाए बिना किए गए) में प्रयुक्त इनपुट पर इनपुट कर क्रेडिट का प्रतिदाय स्वीकृत किया, जो ₹ 65.00 लाख का होना था। यह ₹ 19.75 लाख के हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय के अधिक भुगतान में परिणत हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-3.6(i)** में वर्णित है, जिसे हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 के अनुसार प्रयोज्य ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो-रेटेड सप्लाई के 11 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं एक मामले[13] में देखा गया कि 18 मई 2020 को अप्रैल 2018 से जून 2018 की अवधि में जीरो-रेटेड सप्लाई पर ₹ 21.46 लाख का प्रतिदाय प्रदान किया। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिदाय आवेदन (आरएफडी-01) में विक्रेता द्वारा दावा किए गए जीरो रेटेड टर्नओवर एवं समायोजित टर्नओवर क्रमशः ₹ 8.36 करोड़ व ₹ 9.95 करोड़ थे, जोकि जीएसटीआर-3बी में फाइल की गई रिटर्न के अनुरूप नहीं थे, जिसमें विक्रेता द्वारा क्रमशः ₹ 6.34 करोड़ व ₹ 10.85 करोड़ के आंकड़े दर्शाए थे। लेखापरीक्षा ने निर्धारित फार्मूले के अनुसार जीएसटीआर-3बी के आंकड़ों के आधार पर अनुमत अधिकतम प्रतिदाय की गणना की एवं पाया कि ₹ 5.61 लाख का अधिक प्रतिदाय अनुमत किया गया **(परिशिष्ट-3.6(ii))**।

3.7.6 कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण अधिक प्रतिदाय की अनुमति

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(i) में निर्धारित है कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जीरो-रेटेड सप्लाई के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89 (3) में प्रावधान है कि इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु आवेदक द्वारा दावा

---

12 बद्दी: मेसर्स. इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड।

13 बद्दी: मेसर्स. रीगल किचन फूड लिमिटेड।

किए गए प्रतिदाय के बराबर राशि से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर को डेबिट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 का नियम 89 (4) परिच्छेद 7.5 में उल्लिखित वस्तुओं व सेवाओं की जीरो-रेटेड सप्लाई के मामले में सूत्र निर्धारित करता है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के परिपत्र संख्या 12-25/2018-19- ईएक्सएन-जीएसटी-(575)-6680-97 दिनांक 13 मार्च, 2019 के द्वारा स्पष्ट किया कि जीरो-रेटेड सप्लाई के अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय के मामले में प्रतिदाय योग्य राशि की गणना निम्नलिखित राशि में से न्यूनतम राशि के रूप में की जाए: -

क. हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में निर्धारित फार्मूले के अनुसार अधिकतम प्रतिदाय राशि।

ख. कर अवधि के अंत में दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैज़र में वह शेष राशि जिसके लिए उक्त अवधि हेतु रिटर्न फाइल किए जाने के पश्चात् प्रतिदाय का दावा फाइल किया जा रहा है; तथा

ग. प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के समय दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में शेष राशि।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो-रेटेड सप्लाई के 20 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं एक उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी में पाया गया कि चार मामलों[14] (20 प्रतिशत) में विभाग ने आवेदन फाइल करते समय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में शेष राशि के संदर्भ में अधिक प्रतिदाय अनुमत किया। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच से उजागर हुआ कि रिटर्न फाइल करने के पश्चात् कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में शेष राशि ₹ 1.45 करोड़ थी। यह न्यूनतम होने के कारण दावेदार ₹ 1.45 करोड़ के प्रतिदाय हेतु पात्र थे जबकि विभाग ने ₹ 2.24 करोड़ की प्रतिदाय राशि अनुमत की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 78.39 लाख का अधिक प्रतिदाय अनुमत हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-3.7** में विवर्णित है।

3.7.7 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (उलट कर संरचना) के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(ii) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में किसी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा कर सकता है जहां क्रेडिट, आउटपुट सप्लाई पर कर की दर इनपुट पर कर की दर से अधिक होने पर संचित हुआ हो (अर्थात इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर)। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 का नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के अधिकतम प्रतिफल हेतु निम्नलिखित फार्मूला निर्धारित करता है:

[14] बद्दी: चार मामले।

अधिकतम प्रतिदाय राशि = [(माल एवं सेवाओं के इनवर्टेड रेटेड सप्लाई का टर्नओवर) X निवल इनपुट कर क्रेडिट / समायोजित कुल टर्नओवर] - माल एवं सेवाओं के ऐसे इनवर्टेड रेटेड सप्लाई पर चुकाने योग्य कर

यहां, "निवल इनपुट कर क्रेडिट" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट है एवं इसमें इनपुट सेवाओं पर लिया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 120 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि दो मामलों[15] में सक्षम अधिकारी ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर प्रतिदाय की स्वीकृति के दौरान ₹ 2.73 करोड़ के बजाय ₹ 2.45 करोड़ का समायोजित कुल टर्नओवर लिया। इसके कारण, ₹ 14.53 लाख के बजाय ₹ 19.73 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया। यह ₹ 5.20 लाख[16] तक के प्रतिदाय की अधिक अनुमति के रूप में परिणत हुआ जैसाकि **परिशिष्ट-3.8(i)** में विवर्णित है।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 78 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि 09 मामलों[17] में सक्षम अधिकारी ने ₹ 5.27 करोड़ स्वीकृत एवं अनुमत किए। यद्यपि लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रतिदाय दावों को स्वीकृत करते समय, उचित अधिकारी ने विक्रेताओं द्वारा घोषित आंकड़ों को सहायक दस्तावेजों अर्थात GSTR-3B, GSTR-1, RFD-01, विवरणी 1ए, अनुलग्नक बी व GSTR-2A के साथ प्रति-सत्यापित नहीं किया था। सहायक दस्तावेजों (विवरणी 1ए) से निकाले गए ₹ 107.03 करोड़ के समायोजित टर्नओवर के प्रति ₹ 105.27 करोड़ के टर्नओवर (फॉर्म आरएफडी-01 के अनुसार) पर विचार किया गया एवं ₹ 104.66 करोड़ के इनवर्टेड टर्नओवर के प्रति ₹ 102.63 करोड़ के टर्नओवर पर विचार किया गया था। ₹ 12.04 करोड़ (विवरण 1ए के अनुसार) के चुकाने योग्य कर के प्रति के इनवर्टेड माल पर चुकाने योग्य कर की ₹ 11.73 करोड़ राशि पर विचार किया गया था (फॉर्म आरएफडी-01 के अनुसार)। सहायक दस्तावेजों आरएफडी-01 व विवरणी 1ए में निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए माल के समायोजित टर्नओवर एवं इनवर्टेड सप्लाई के आंकड़ों में मिलान न होने के परिणामस्वरूप इनपुट कर क्रेडिट का अधिक प्रतिदाय हुआ। लेखापरीक्षा ने उक्त संदर्भित सूत्र के अनुसार दावा किए गए एवं अनुमत योग्य निवल प्रतिदाय की गणना की तथा देखा कि ₹ 4.62 करोड़ के अनुमेय प्रतिदाय के प्रति, ₹ 5.27 करोड़ का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.13 लाख[18] के प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति हुई **(परिशिष्ट-3.8(ii))**।

---

15 सिरमौर: एक मामला व सोलन: एक मामला।

16 सिरमौर: एक मामला: ₹ 5.10 लाख व सोलन: एक मामला: ₹ 0.10 लाख।

17 बद्दी: दो मामले व सिरमौर: सात मामले।

18 बद्दी: दो मामले: ₹ 6.16 लाख व सिरमौर: सात मामले: ₹ 58.97 लाख।

3.7.8 वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय मामलों में अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर के नियम 89 (2) में प्रतिदाय दावों के साथ अनुलग्नक 1 के अनुसार जीएसटी आरएफडी-01 फार्म में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आबकारी और कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या 12-25/2018-19-EXN-GST-(575)-6680-97 मार्च 2019 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय दावों को जमा करते समय दावेदार को वे चालान जिनके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रासंगिक अवधि के दौरान लिया गया था, उनका विवरण "अनुलग्नक-ए" के रूप में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रतिदाय के दावे की प्रासंगिक अवधि के लिए दावेदार के प्रतिदाय दावे के साथ फार्म GSTR-2A का प्रिंटआउट भी होना चाहिए।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि 30 प्रतिदाय मामले[19] (17.96 प्रतिशत) **परिशिष्ट-3.9(i)** में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के बिना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 29 मामले व जीरो रेटेड सप्लाई का एक मामला) स्वीकृत किए गए थे। इन दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा में वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय हेतु इनपुट कर क्रेडिट की पात्रता की जांच/गणना नहीं की जा सकी।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं 24 प्रतिदाय मामलों[20] (21.43 प्रतिशत) में सभी सहायक दस्तावेज, जिन्हें उपरोक्त परिपत्र के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित था, विक्रेताओं ने अपलोड नहीं किए। उचित अधिकारी ने इन 24 प्रतिदाय मामलों[21] में **परिशिष्ट-3.9(ii)** में वर्णित सभी सहायक दस्तावेजों[22] के बिना ₹ 31.82 करोड़ का प्रतिदाय स्वीकृत किया। यह उक्त परिपत्र के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। दावा किए गए एवं विक्रेताओं को अनुमत योग्य प्रतिदाय का पता लगाने के लिए प्रतिदाय आवेदनों को संसाधित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

3.7.9 प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या एफ.सं. 12-28/2017-18-EXN-GST-1810-27 दिनांक 17 जनवरी, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, तालिका संख्या 1, 2 व 3 में प्रतिदाय रजिस्टरों को उसमें कुछ विवरण अर्थात प्रतिदाय की अवधि, आवेदन प्राप्त होने

---

19 बद्दी: 13 मामले, सिरमौर: नौ मामले, शिमला: छह मामले, सोलन: एक मामला व ऊना: एक मामला।

20 बद्दी: 24 मामले।

21 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: 20 मामले व जीरो रेटेड सप्लाई: चार मामले।

22 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: धारा 54(3) के तहत घोषणा, नियम 16(2), स्टेटमेंट 1, 1ए, जीएसटीआर 2ए, अनुलग्नक बी के अनुसार अंडरटेकिंग एवं इनवॉयस की स्वप्रमाणित प्रतियां। जीरो-रेटेड सप्लाई: धारा 54(3) के तहत घोषणा, नियम 16(2), स्टेटमेंट 3, 3ए, जीएसटीआर 2ए, अनुलग्नक बी व शिपिंग बिल के अनुसार अंडरटेकिंग।

की तिथि, पावती जारी करने की तिथि, अनंतिम/अंतिम प्रतिदाय जारी करने की तिथि आदि दर्ज करते हुए अनुरक्षित किया जाना निर्धारित किया गया है।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-2020 के दौरान निर्धारित प्रारूप के अनुसार तालिका संख्या 1 से 3 में प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। निर्धारित प्रारूपों में रजिस्टरों का अनुरक्षण न करने के कारण प्रतिदाय दावों की कुछ प्रक्रियाओं की समयबद्धता पर लेखापरीक्षा में टिप्पणी नहीं की जा सकी। प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुपयुक्त अनुरक्षण उक्त परिपत्र के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ।

3.7.10 प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में असामान्य विलंब

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या 12-28/2017-18-EXN-GST-3280-98 दिनांक 03 फरवरी 2018 के अनुसार कर या उपकर, जैसा भी मामला हो, की प्रासंगिक स्वीकृत राशि के भुगतान के प्रयोजनार्थ केंद्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रतिदाय आदेश संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को सात कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाए। इसमें यह भी दोहराया गया था कि हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम एवं नियम की धारा 54(7) एवं नियम 91(2) के तहत प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि चार मामलों[23] (2.40 प्रतिशत) में प्रतिपक्ष केंद्रीय कर प्राधिकरण को संसूचित करने में औसतन 09 से 49 दिनों का विलम्ब हुआ एवं इनमें विलम्ब का औसत क्रमशः 32 दिन से 36 दिन रहा। इन सभी चार मामलों में 3 माह तक का विलम्ब हुआ **(परिशिष्ट-3.10)**।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.11 अभिलेख प्रस्तुत न करना

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि इन मंडलों में अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद लेखापरीक्षा को चार प्रतिदाय मामले[24] उपलब्ध नहीं कराए गए थे (**परिशिष्ट-3.11**)। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा इन मामलों में विभाग के प्रदर्शन को सत्यापित नहीं कर सका।

---

[23] शिमला: तीन मामले व ऊना: एक मामला।

[24] शिमला: दो मामले, सोलन: एक मामला व ऊना: एक मामला।

3.7.12 भुगतान आदेश जारी करने में विलम्ब

आबकारी और कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र संख्या 12-15/2018-19-EXN-GST-(575)-32085-32103 दिनांक 10 दिसंबर, 2019 के बिंदु संख्या 34 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार यदि आवेदक को प्रतिदाय किया जाने वाला कोई कर आदेश आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो ब्याज के रूप में छः प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर का प्रतिदाय होना तभी माना जाएगा जब राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी गई हो। तदनुसार, सभी कर अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे एआरएन के सृजन की तिथि के 45 दिनों के भीतर जीएसटी आरएफडी-06 फार्म में अंतिम स्वीकृति आदेश एवं एफएसटीआर एफडी-05 फार्म में भुगतान आदेश जारी करें ताकि वितरण साठ दिनों के भीतर पूरा हो सके।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि तीन मामलों[25] (2.68 प्रतिशत) में करदाता के खाते में प्रतिदाय जमा करने की निर्धारित अवधि अर्थात 60 दिनों के बाद भुगतान आदेश जारी करने में औसतन नौ से 69 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमशः 46 से 60 दिन रहा जैसाकि **परिशिष्ट-3.12** में विवर्णित है। इन सभी मामलों में 3 माह तक का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित भुगतान आदेश जारी करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.13 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में पूंजीगत माल व सेवाओं पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट को प्रतिदाय राशि में शामिल करना

(क) प्रतिदाय राशि में पूंजीगत माल पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट को शामिल करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89(5) में माल या सेवाओं के इनवर्टेड सप्लाई के मामले में अधिकतम प्रतिदाय हेतु सूत्र निर्धारित करता है।

अधिकतम प्रतिदाय राशि = [(माल व सेवाओं के इनवर्टेड सप्लाई का टर्नओवर) x निवल इनपुट कर क्रेडिट ÷ समायोजित कुल टर्नओवर] - माल व सेवाओं के ऐसे इनवर्टेड रेटेड सप्लाई पर चुकाने योग्य कर

[25] बद्दी: एक मामला, कागंडा: एक मामला व सिरमौर: एक मामला।

यहां "निवल इनपुट कर क्रेडिट" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुटस पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट है। इस प्रकार पूंजीगत माल पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट पर विचार नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 में निर्धारित है कि करदाता से धारा 50 के तहत प्रयोज्य ब्याज सहित प्रतिदाय की गलत राशि की वसूली की जाए।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 78 मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि कर-अवधि फरवरी 2020 हेतु प्रतिदाय दावे के एक मामले[26] में ₹ 86.07 लाख के अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट पर ₹ 31.75 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया। प्रतिदाय राशि पर पहुँचने के लिए "निवल इनपुट कर क्रेडिट" की गणना करते समय करदाता ने पूंजीगत माल पर लिए गए ₹ 1.29 लाख के इनपुट कर क्रेडिट एवं ₹ 4.62 लाख के पूंजीगत माल का कर योग्य मूल्य शामिल किया। यह ₹ 1.29 लाख के प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति में परिणत हुआ **(परिशिष्ट-3.13(i))** जो हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 की शर्तानुसार ब्याज सहित वसूली योग्य था।

(ख) प्रतिदाय राशि में इनपुट सेवाओं पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट शामिल करना

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 78 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया कि दो मामलों[27] में विक्रेता ने ₹ 2.98 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमत किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन मामलों में प्रतिदाय दावों की स्वीकृति के दौरान इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर क्रेडिट को लेने की भी अनुमति दी गई, जो उक्त निर्दिष्ट नियमों के विपरीत था। यह ₹ 43.65 लाख के प्रतिदाय की अधिक अनुमति के रूप में परिणत हुआ **(परिशिष्ट-3.13(ii))**।

3.7.14 ₹ 2.28 करोड़ के प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

परिपत्र संख्या 135/05/2020-जीएसटी, मार्च 2020 के परिच्छेद 4.4 के साथ पठित केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 86 के उप-नियम 4ए के अनुसार एक करदाता गलती से चुकाए गए या चुकाए गए अधिक कर (जीरो रेटेड सप्लाई के अतिरिक्त) के लिए उसी पद्धति में प्रतिदाय प्राप्त करने का पात्र है, जिसके द्वारा कर देयता का निर्वहन किया गया था, अर्थात यदि कर का भुगतान आंशिक रूप से क्रेडिट लैजर को डेबिट करके व आंशिक रूप से कैश लैजर को डेबिट करके किया गया था, तो प्रतिदाय उसी अनुपात में स्वीकृत किया

---

[26] इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: मेसर्स आरएसए टेक्नीटेक्स लिमिटेड।

[27] बद्दी: दो मामले।

जाएगा। नकद भाग को RFD-05 जारी करके करदाता के बैंक खाते में स्वीकृत व जमा किया जाए एवं क्रेडिट भाग को PMT-03 के माध्यम से करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में फिर से क्रेडिट किया जाए।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि सिरमौर मंडल के अधीन प्रतिदाय के एक मामले[28] में विक्रेता ने अपना रिटर्न (GST-3B) फाइल करते समय 2/2019 की अवधि हेतु शून्य दर पर ₹ 1,15,358.96 के बजाय जीरो रेटेड के अतिरिक्त जावक (आउटवर्ड) कर योग्य सप्लाई पर गलती से केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर के साथ ही हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर में ₹ 1,15,35,896/- की प्रविष्टि कर दी। इससे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर से ₹ 2,28,41,074/- (अर्थात 1,14,20,537+1,14,20,537) के कर का अधिक भुगतान हुआ। मार्च 2020 में विक्रेता ने उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर के अधिक डेबिट के लिए प्रतिदाय आवेदन किया। उचित अधिकारी ने ₹ 2.28 करोड़ के प्रतिदाय की स्वीकृति दी जिसको विक्रेता के बैंक खाते में जमा किया गया। यह अनुमेय नहीं था क्योंकि स्वीकृत प्रतिदाय को ऊपर उल्लिखित परिपत्र के प्रावधान के अनुसार बैंक खाते में भुगतान करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैज़र में जमा किया जाना अपेक्षित था।

3.7.15 अनुचित स्वीकृत प्रतिदाय को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में पुनः क्रेडिट न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 92 में निर्धारित है कि प्रतिदाय आवेदन की प्रस्तुति पर अधिकारी जांच प्रक्रिया करेगा। वह जांच करेगा कि क्या प्रतिदाय दावा राशि देय है एवं आवेदक को भुगतान योग्य होने पर वह जीएसटी आरएफडी-06 फार्म में एक आदेश देगा, जिसमें आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उतनी प्रतिदाय राशि, जिसके लिए आवेदक पात्र है, स्वीकृत की जाएगी। उसे उसमें जीरो-रेटेड सप्लाई के मामले में आवेदक को अनंतिम आधार प्रतिदाय की गई राशि, यदि कोई हो, तो उसका भी उल्लेख करना होगा।

अधिनियम के तहत अथवा किसी मौजूदा कानून के तहत किसी बकाया मांग के प्रति प्रतिदाय से राशि एवं प्रतिदाय योग्य शेष राशि समायोजित की जाए। यद्यपि ऐसे मामलों में जहां प्रतिदाय की राशि किसी बकाया मांग के प्रति पूरी तरह से समायोजित की जाती है, समायोजन जीएसटी आरएफडी-07 के भाग क में जारी किया जाए।

प्रावधानों के अनुसार प्रतिदाय दावे पर रोक लगाई जा सकती है एवं आवेदक को राशि पर रोक लगाने के कारणों की जानकारी देते हुए जीएसटी आरएफडी-07 फार्म के भाग ख में एक आदेश जारी किया जा सकता है।

---

[28] मेसर्स प्रोटेक टेलीलिंक्स लिमिटेड।

जहां उचित अधिकारी प्रतिदाय के रूप में दावा की गई सम्पूर्ण अथवा आंशिक राशि के अनुमत योग्य न होने या आवेदक को भुगतान न होने सम्बन्धी लिखित में दर्ज किए कारणों से संतुष्ट हो, तो वह आवेदक को GST RFD-08 फार्म में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर GST RFD-09 फार्म में उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उत्तर पर विचार करने के पश्चात् उचित अधिकारी GST RFD-06 फार्म में यह आदेश देता है-

- प्रतिदाय की सम्पूर्ण अथवा उसके कोई भाग की स्वीकृति
- उक्त प्रतिदाय दावे की अस्वीकृति

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि एक मामले[29] में जुलाई 2019 से सितंबर 2019 की अवधि हेतु इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित इनपुट कर क्रेडिट पर ₹ 38.63 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था, जैसाकि विक्रेता ने आरएफडी-01 फार्म में प्रतिदाय के अपने आवेदन में दावा किया था। यह राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर से डेबिट की गई थी। यद्यपि उचित अधिकारी ने केवल ₹ 4.64 लाख की भुगतान सलाह (एडवाइस) जारी की। ₹ 33.99 लाख की शेष राशि का प्रतिदाय अनुमत न करने का कोई कारण दर्ज नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर योग्य टर्नओवर, निवल इनपुट कर क्रेडिट, समायोजित टर्नओवर के आधार पर निकला गया अधिकतम अनुमत प्रतिदाय ₹ 4.64 लाख है; अर्थात भुगतान सलाह के अनुरूप। यह देखा गया कि 19-02-2020 को विक्रेता के खाते से ₹ 38.63 लाख डेबिट किए गए जबकि भुगतान सलाह (एडवाइस) ₹ 4.64 लाख के लिए जारी की गई थी। वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार उचित अधिकारी को अंतर राशि के लिए विक्रेता को अनुमत न हुई राशि की रिवर्स एंट्री (पुनः प्रविष्टि) करके विक्रेता के खाते में जमा करना अपेक्षित था। विक्रेता के खाते में राशि वापस करने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

3.8 निष्कर्ष

पावती जारी करने के साथ ही प्रतिदाय स्वीकृति में महत्वपूर्ण विलम्ब था। कई मामलों में अधिनियमों व नियमों के प्रावधानों से विचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनियमित प्रतिदाय किया गया। विभाग प्रतिदाय के पश्चात् लेखापरीक्षा करने के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा। विभाग प्रतिदाय स्वीकृत करने से पूर्व सभी दस्तावेजी प्रमाणों का संग्रह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा तथा प्रतिदाय रजिस्टर निर्धारित प्रारूपों में अनुरक्षित नहीं किया गया।

[29] मेसर्स अज़ोट लाइफ साइंसेज लिमिटेड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किए गए (सितम्बर 2021) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

3.9 सिफारिशें

- ***विभाग पावती जारी करने एवं प्रतिदाय स्वीकृति में विलम्ब को कम करने तथा प्रतिदाय स्वीकृति की दक्षता हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार करें।***
- ***विभाग प्रावधानानुसार प्रतिदाय मामलों की पश्चात् लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली व प्रक्रिया व्युत्पन्न करें।***
- ***विभाग प्रतिदाय स्वीकृत करने से पूर्व सभी दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।***